

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./ 66 /2019


दिनांक 21.08.2019

श्रीमती सुरभि सिंह (RJ0999), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर) को दिनांक 26.08.2019 से 07.09.2019 तक 13 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 23.08.2019 से 25.08.2019 व 08.09.2019 के राजपत्रित अवकाशों एवं 22.08.2019 ऐच्छिक अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती मिनाक्षी मीणा (RJ0702), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर) को श्रीमती सुरभि सिंह के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर) के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

- (1) ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में हैं और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
- (2) श्रीमती मिनाक्षी मीणा (RJ0702), जिनको सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर) के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से




रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/162/2015/ 7752

दिनांक 21.08.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 5872 दिनांक 13.08.2019 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती सुरभि सिंह (RJ0999), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर)।
5. श्रीमती मिनाक्षी मीणा (RJ0702), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर)।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर)।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।



सहायक रजिस्ट्रार